

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

राम. ली. राम. बनाम सु. रा. क. क.

किस्म मुकदमा नं. 65/2017 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
23-7-18	<p>हुक्म नं. 13-11-18 को पेश हो।</p> <p>Vinly</p>
29-10-18	<p>वकील पाथी के प्रां पत्र में मिसल तलकी के पेश की जाने पर पत्रावली इकाई पेशी 13-11-18 से पूर्व तलब होना पेश हुई। वकील पाथी ने प्रां पत्र को पक्षाभारण के मध्य भाग में रखी नामा हो जाने से प्रमाण को मांगे नहीं चलाए प्रमाण को खारिज किया जाने का निर्देश किया। वकील पाथी द्वारा प्रस्तुत की प्रां पत्र रवीन्द्र किया जाकर प्रां पत्र हुक्म अर्द्धी को खारिज की रवीन्द्र दी जाती है। पत्रावली फंफाल शुभ होना बाद वकील उल्लेख इतर है।</p> <p>Or सहायक कलेक्टर (मजिस्ट्रेट) श्रीमाधोपुर (R.A. कलेक्टर) ATC & EM (FT) श्रीमाधोपुर</p>